संख्या-33/2023/184मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2023/001-1745474

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 19 दिसंबर, 2023**

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित नगर निगम, प्रयागराज को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/242/2/न0पा0परि0/य0सी0/2023-24, दिनांक-29.08.2023 एवं पत्र सं0-नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज के पत्र संख्या-193/एस0 टी0सी0ई0/2023, दिनांक 26.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर निगम, प्रयागराज में कराये जा रहे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स आदि को उपलब्ध कराते हुये नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज द्वारा किये गये अनुरोधानुसार 05 कार्य निरस्त करने, बिलो टेण्डर एवं 05 कार्य निरस्त करने के उपरान्त हुई कुल बचत धनराशि रू0 3,62,20,465.00 के उपभोग की अनुमति एवं शेष कार्यों (कल्याण मण्डप के अतिरिक्त) को पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 29,91,114.00 अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर निगम, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-129/2022/1927/नौ-9/84जे0-22, दिनांक 14.11.2022 एवं शासनादेश संख्या-157/2022/4348/001/ई1672196-84जे0-22, दिनांक 12.12.2022 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से निम्नांकित 05 कार्यों को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्यों का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रू0 में)	अवमुक्त धनराशि (रू0 में)	निरस्तीकरण का कारण
1.	अरैल स्थित सरस्वतीपुरम में रामबीन सिंह से सर्वेश श्रीवास्तव तक गली नाली निर्माण कार्य।	3087400.00	3087400.00	स्थल पर भूमि विवाद होने के कारण निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
2.	अरैल मुख्य मार्ग से ग्राम मवैया तक संपर्क मार्ग का सुधार कार्य।	3188810.00	3188810.00	लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण करा दिया गया है
3.	मिर्जापुर राष्ट्रीय राज मार्ग से महुवारी तक संपर्क मार्ग का सुधार कार्य।	2441119.00	2441119.00	लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण करा दिया गया है
4.	लेहरा तिवारी पुर में श्री निवास मिश्र के मकान से गुरूकुल विद्या मंदिर तक संतोष कुमार के मकान से विमलेश यादव के मकान तक गली में इण्टरलाकिंग नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।।	4158030.00	2079015.00	द्विरावृत्ति
5.	जोन-6 के अन्तर्गत विस्तारित क्षेत्र के बमरौली मोहल्ला पंतारावा में भगवतपुर पुल से लेकर	2718052.00	1359026.00	स्थल पर ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा

	बी0के0 त्रिपाठी के घर होते हुये दरबारी लाल अन्तर कॉलेज तक सड्क सुधार कार्या।			कार्य करा दिया गया है।
योग		15593411.00	12155370.00	

3- उक्त कार्यों के निरस्तीकरण व अन्य कारणों से हुई बचत की धनराशि रू0 3,62,20,465.00 (रू0 तीन करोड़ बासठ लाख बीस हजार चार सौ पैंसठ मात्र) का उपभोग योजनान्तर्गत स्वीकृत शेष कार्यों (कल्याण मण्डप के अतिरिक्त) को पूर्ण कराने के लिए करने हेतु नगर निगम, प्रयागराज को अनुमति प्रदान करते हुए, उक्त उल्लिखित शासनादेशों दिनांक 14.11.2022 एवं 12.12.2022 द्वारा स्वीकृत कार्यों की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि रू0 29,91,114.00 (रू0 उनतीस लाख इक्यानबे हजार एक सौ चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि शेष कार्यों (कल्याण मण्डप के अतिरिक्त) को पूर्ण कराने हेतु नगर निगम, प्रयागराज द्वारा अतिरिक्त धन की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शेष शर्तें/प्रतिबंध निम्नवत है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

4. कार्यों हेतु निगम स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्ड्र की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्तर ही निकाय द्वारा स्वी कृत कार्यों हेतु व्यतय की जायेगी।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय कीजायेगी।

7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

9. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

11. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमोंके अनुसार किया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

18. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।

19. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्धं कराना सुनिश्चित करेगें।

20. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

21. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

22. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 29,91,114 (रुपये उन्तीस लाख इक्यानबे हजार एक सौ चौदह मात्र)**को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801910300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Digitally Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 19-12-2023 18:44:39
Reason: Approved

387

I/451825/2023

संख्या-330/2023/184मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) संबंधित मण्डलायुक्त।
(7) संबंधित जिलाधिकारी।
(8) नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज द्वारा निदेशक।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।